न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 17.02.2025

मुकदमा नम्बर 60/2016
जीसीएमएस नम्बर 2016/00024
श्री दिगम्बर अखाड़ा हनुमान मंदिर बीदासर रोड़, श्रीडूंगरगढ़ जरिये संस्थापक ब्रह्मप्रकाश पुत्र थानमल जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र स्व. शेराराम
2. नथूराम
3. राजूराम — पुत्रगण भंवरलाल
4. बुलराम

(1 से 4) जाति मेघवाल निवासीगण प्रतापबस्ती, बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकोनर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादी।
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 3.00 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 287 तादादी 0.95 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी पहले श्री दिगम्बर अखाड़ा हनुमान मंदिर बीदासर रोड़ श्रीडूंगरगढ़ संस्थापक चेलाराम मेघवंशी निवासी श्रीडूंगरगढ़ के नाम से थी। चूंकि उक्त खसरान भूमि की सार संभाल, देख—रेख व उपयोग उपभोग वादी ही करता था एवं आज से 21 साल पूर्व उक्त संस्थापक चेलाराम मेघवंशी ने मौखिक परित्याग से उक्त खसरान भूमि को वादी के पक्ष में छोड़ दिया था। वादी ने उक्त संस्थापक चेलाराम मेघवंशी को लिखित परित्याग करने बाबत बार बार निवेदन किया तो वह इन्कार हो गया जिस पर वादी ने उक्त संस्थापक चेलाराम मेघवशी के विरूद्ध एक घोषणात्मक दावा अनुवानी ब्रह्मप्रकाश बनाम श्री दिगम्बर अखाड़ा आदि नं. दावा 852/10 न्यायालय श्रीमान् के समक्ष सन् 2010 में प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 18.12.2010 को वादी के पक्ष में कर दिया गया व न्यायालय श्रीमान् के निर्णय से उक्त खसरान भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में जरिये इन्तकाल संख्या 195 दिनांक 04.01.2011 को दर्ज हो गई। वादगत खेत मौका परं एकल है। खसरा नम्बर 183 व खसरा नम्बर 287 के मध्य से बीदासर रोड़ गुजरती है। वादी वादगत खसरान भूमि को बिना किसी बाधा व रूकावट के पिछले 21 सालों से काश्त करता चला आ रहा है। वादगत खसरा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का वादगत खसरान भूमि से कोई लेना देना नहीं है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ता 4 वादी के उपरोक्त खेतों की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की फिराक व कोशिश में लगे रहते है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की नीयत वादी के खातेदारी के उपरोक्त खेतों पर जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा कर वादी को बेदखल करने की है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहुत ही होशियार [illegible] प्रवृति के व्यक्ति है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 दिनांक 20.10.2016 को वादी के खेतों के मध्य [illegible] गुजरने वाली बीदासर रोड़ पर जेई, चौसंगी आदि लेकर आये व आते ही [illegible] कहा कि [illegible] खेतों से बाहर निकलों हम तुम्हारे इन खतों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा [illegible] लिए तुम्हें बेदखल कर देंगे तब वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मना किया कि आप लोग कौन हो, आपका इन खेतों की भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने धमकी दी कि अभी राज हमारा है, हम हमारे राज में तुम्हारे इन खेतों की भूमि पर हर हाल में कब्जा करके ही रहेगें, हमें कोई रोकने वाला नहीं है अगर कोई बीच में आयेगा तो हम उसे जान से मारे बिना नहीं छोड़ेंगे तब वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 4 से ऐसा नही करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने कहा कि हम तो लाठी के बल पर तुम्हारे खेतों की जमीन को हमारे कब्जे में करके ही रहेंगे । इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 नाजायज रूप से वादी के खेतों की जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है व वादी को वादगत खेतों से जबरदस्ती बेदखल करने पर आमादा हो रहे है । वादी सीधा–सादा एवं कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 अपने बाहुबल एवं धनबल के आधार पर वादी को उसके खेतों से बेदखल कर खुद काबिज होना चाहते है । वादी प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का बलपूर्वक मुकाबला करने में सक्षम नहीं है । वादी के पास न्यायालय से प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री हासिल करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 3.00 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 287 तादादी 0.95 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर की खातेदारी वादी के नाम से है तथा वादी की ही कब्जा काश्त होने से वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के विरूद्ध वादाधार हासिल है । प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने वादी को उनके खातेदारी के खेतों से जबरन बेदखल करने व खुद काबिज होने की दिनांक 20.10.2012 को धमकी दी हैं, इसी दिन से वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के विरूद्ध कोज ऑफ एक्शन हासिल है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया गया है। कृषि भूमि के रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किया जाता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ता 4 वादी को वादगत खेत से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है अगर दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में सफल हो जावेगें व वादी को भारी नुकसान होगा। वादी द्वारा जाब्ता दीवानी की धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस मिंयादी दो माह की छूट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् की अनुमति से उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का है जो निर्धारित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है । पक्षकारान के निवास स्थान तथा वादगत खेत रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से तथा दावा चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का होने से दावा श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 ता 4 निम्नानुसार सादिर डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वो वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 183 तादादी 3.00 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 287 तादादी 0.95 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं करे, वादी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें ना ही करावे ना वादी के खेत में खड़ी फसल को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें तथा ना ही ऐसा कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो ।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर [illegible] दौराने दावा हो जावे वह भी वादी को दिलवाया जावे।

(ग) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादी को [illegible] जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:55 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलव किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाव दावा पेश किया गया। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में PW-1 ब्रह्मप्रकाश (वादी) व PW-2 मघराज के बयान करवायें जाकर दस्तावेज प्रर्दश करवायें गये। जिरह प्रतिवादी पूर्ण। प्रतिवादी अधिवक्ता को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं किये जाने के कारण साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। बहस अंतिम सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को चिरनिषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शेराराम की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 183 व 287 वाके रोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित थी। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी संख्या 1 के दादा शेराराम की मृत्यु के बाद से ही प्रार्थी हिन्दु सहदायिक होने के कारण जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 का हक व हिस्सा कायम हो गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के वादगत कृषि भूमि विकय करनें का कोई अधिकारी नहीं था। विक्रय दिनांक के पूर्व से ही वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। वादगत कृषि भूमि का दिनांक 18.12.2020 से पूर्व दिगम्बर अखाडा के नाम दर्ज थी। दिगम्बर अखाडा हनुमानजी का मन्दिर है। मन्दिर की भूमि किसी भी व्यक्ति के नाम से खातदेारी दर्ज नहीं की जा सकती है। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य न रखकर आधे–अधूरे तथ्यों के आधार पर अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 08.11.2016 को जारी करवाई जबकि प्रतिवादीगण का दिनांक 18.12.2010 पूर्व से ही वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी का वादगत कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है तथा न ही वादगत कृषि भूमि के संबंध में वादी का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार पैदा होता है। वादी दिगम्बर अखाडा हनुमान मन्दिर बीदासर रोड का पुजारी नहीं। मूर्ति एक अवस्यक विधिक व्यक्तित्व होता है। जिसकी देखरेख पुजारी द्वारा की जाती है। मूर्ति की सम्पति पर विधिक अधिकार पुजारी का नहीं होता है। वादी द्वारा संस्था के संस्थापक के संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये है। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा शेराराम के नाम से खातेदारी दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 का दादा अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य है। अनुसूचित जाति वर्ग की कृषि भूमि अनुसूचित जातिवर्ग के ही व्यक्ति को ही हस्तान्तरित की जा सकती है। किसी भी संस्था व अन्य जाति वर्ग के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। प्रतिवादी संख्या 1 के दादा शेराराम द्वारा विक्रय पत्र शुरू से ही अवैध व शून्य है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। वाद में तनकीयात कायम की गई। वाद का तनकीवार विवेचन किया गयाः–

तनकी संख्या 01:– आया कि वादी [illegible] काश्त खेत खसरा नंबर 183 तादादी 3.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 287 तादादी 0.9[illegible] रोही सालासर बाबत चिरनिषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है को साबित करने [illegible] द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह उक्त तनकी को पूर्ण रूप से साबित किये [illegible] के कारण यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:55 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 02:– आया कि वादगत खेत खसरा नंबर 183, 287 में दादा की मृत्यु बाद हिन्दु सहदायिक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को ये भूमि विक्रय का अधिकार नही था। व विक्रय दिनांक से पूर्व ही वादगत खेत प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में थे को साबित करनें को भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज विक्रयपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये व ना ही साक्ष्यप्रतिवादी में किसी ग्वाह को पेश नही किये जाने के कारण उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03:– आया कि वादी का वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा को साबित करनें का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर था परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज एवं दस्तावेजी साक्ष्य व ग्वाह पेश नहीं किये जाने के कारण उक्त तनकी प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04:– आया कि अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि किसी संस्था को हस्तान्तारित नहीं की जा सकती है को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज एवं दस्तावेजी साक्ष्य व ग्वाह पेश नहीं किये जाने के कारण उक्त तनकी प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से व ग्वाह के कथनों से यह तथ्य प्रकट हुए है कि न्यायालय हाजा के मुकदमा नंबर 852/2010 निर्णय दिनांक 18.12.2010 के द्वारा ग्राम सालासर के खसरा नंबर 183 व 287 की खातेदारी श्री दिगंबर अखाडा हनुमान मन्दिर बीदासर रोड, श्रीडूंगरगढ संस्थापक ब्रह्मप्रकाश पुत्र थानमल मेघवाल निवासी बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ के नाम घोषित की जाकर वाद डिक्री किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा वादी के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 04.01.2011 से खातेदारी दर्ज की गई थी। जिसकी खातेदारी वादी के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी का उक्त वादगत खसरान भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी द्वारा संस्थापक की हैसियत से वादगत भूमि की देखरेख व सार संभाल की जा रही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 183 तादादी 3.00 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 287 तादादी 0.95 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई दखलअन्दाजी नही करे ना ही करावें एवं किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:55 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

श्री दिगम्बर अखाड़ा हनुमान मंदिर बीदासर रोड़, श्रीडूंगरगढ़ जरिये संस्थापक ब्रह्मप्रकाश पुत्र थानमल जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र स्व. शेराराम
2. नथूराम
3. राजूराम
4. बुलराम

(2 से 4) पुत्रगण भंवरलाल

(1 से 4) जाति मेघवाल निवासीगण प्रतापबस्ती, बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकोनर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 60/2016
दावा बाबतः चिरनिषेधाज्ञा
निर्णय दिनांकः 17.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री साजिद खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से के.के.पुरोहित मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नंबर 183 तादादी 3.00 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 287 तादादी 0.95 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई दखलअन्दाजी नही करे ना ही करावें एवं किसी प्रकार से प्रवेश नहीं करे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 17 माह 02 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ